कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ0ग0)
FAX (O) – 07752-224200, PHONE (O) – 07752 -230030,
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email – deancims@gmail.com

क्रमांक / .... / छात्रशाखा / सिम्स / 21 बिलासपुर, दिनांक / /2021

–:: सूचना ::–

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 14.06.2021 को कॉलेज कॉउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार एम.बी.बी.एस. के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि एम.बी.बी.एस. की समस्त सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं ऑफलाईन के माध्यम से **दिनांक 25 जून, 2021** से पुनः प्रारंभ हो रही है। दिनांक 25 जून, 2021 से अग्रिम आदेश तक ऑफलाईन कक्षाओं की उपस्थिति ही विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हता के रूप में मान्य होगी। उपरोक्त सूचना के आधार पर यदि छात्र संस्थान में उपस्थित होते है तो उनके द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

01 छात्रावास / स्थानीय निवास में उपस्थित होने के पश्चात् 05 दिवसीय क्वारेनटाईन की अवधि आपको पूर्ण करनी होगी भले ही आप अपने गृह निवास से कोविड रिपोर्ट निगेटिव लेकर आ रहे हो।

02 समस्त छात्र–छात्राएं अपने अभिभावकों से सहमति उपरांत ही संस्थान एवं छात्रावास में अध्ययन कार्य हेतु उपस्थित होवेंगे।

03 समस्त छात्र–छात्राएं अपने गृह निवास से ही कोविड–19 टेस्ट (आरटीपीसीआर) कराकर ही आवेंगे। यदि किसी कारणवश आपके गृह निवास में टेस्ट नहीं हो पा रहे है तो आप संस्थान में कोविड टेस्ट करावेंगे एवं परिणाम आने तक छात्रावास / स्थानीय निवास स्थान में क्वारेनटाईन रहेंगे।

04 रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात् भी आपको कोविड–19 के प्रसारण के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

05 कोविड–19 के संभावित लक्षण होने पर संबंधित छात्र तत्काल छात्रावास अधीक्षक को सूचित करेंगे।

06 समस्त छात्र–छात्राएं संस्थान प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर भी कोविड के रोकथाम हेतु दिये गए समस्त निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे।

07 समस्त छात्र–छात्राएं सोशल डिस्टेसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर का सदैव उपयोग करते रहेंगे।

08 किसी भी प्रकार के शैक्षणेत्तर गतिविधियों जैसे– स्पोर्टस्, सभा इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

09 छात्रावास में निवासरत छात्र–छात्राओं को किसी भी परिस्थिति में रात्रि 08.00 बजे के उपरांत बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में अपने छात्रावास अधीक्षकों डॉ0 विभा टण्डन, अधीक्षिका, बालिका छात्रावास (मो.नं.–7974064674), डॉ0 विजेन्द्र पैकरा, सहायक प्राध्यापक, बालक छात्रावास अभिलाषा परिसर (मो.नं.–9329519912) एवं डॉ0 प्रशांत निगम, अधीक्षक, बालक छात्रावास, सिम्स (मो.नं.–9993604518) से संपर्क किया जा सकेगा।

10 पुस्तकालय में प्रवेश केवल सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क तथा सेनेटाईजर उपलब्ध होने पर ही दिया जावेगा।

क्रमशः....2...

कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ0ग0)

FAX (O) – 07752-224200, PHONE (O) – 07752 -230030,
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email – deancims@gmail.com

क्रमांक / .... / छात्रशाखा / सिम्स / 21 बिलासपुर, दिनांक / /2021

11 उक्त अनुमति कोविड–19 के परिदृश्य में एन.एम.सी. द्वारा जारी Guidelines for reopening of medical college post lockdown due to covid-19 pandamic dated 29-11-2020, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों के पूर्णतया पालन करने के आधार पर दी जा रही है। दिशा–निर्देशों के अवहेलना किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 9631-39 / छात्रशाखा / सिम्स / 21 बिलासपुर, दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपिः–

01 मुख्य सचिव, छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।

02 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।

03 कलेक्टर, जिला बिलासपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।

04 चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स चिकित्सालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

05 समस्त विभागाध्यक्षों की ओर एन.एम.सी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक शैड्यूल बनाकर छात्रों के अध्ययन एवं अध्यापन कार्य कोविड–19 के रोकथाम हेतु दिये गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करें।

06 अधीक्षक, बालक / बालिका छात्रावास, सिम्स बिलासपुर एवं अभिलाषा परिसर, बिलासपुर की ओर उपरोक्त छात्रों के निवास एवं भोजन की व्यवस्था कोविड–19 के रोकथाम हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किये जाने हेतु आदेशार्थ।

07 प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा / भण्डार शाखा, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08 ग्रंथपाल, केन्द्रीय पुस्तकालय, सिम्स, बिलासपुर की ओर पुस्तकालय में कोविड–19 के प्रोटोकॉल को पूर्णतः पालन कराते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रतिदिवस रात्रि 10.00 बजे तक पुस्तकालय प्रारंभ करने सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

09 समस्त सूचना पटल, सिम्स बिलासपुर छ.ग.।

अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ0ग0)